झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

:: संकल्प ::

चूँकि झारखण्ड के राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री दयानन्द महली, सेवानिवृत्त झा0प्र0से0, (कोटि क्रमांक–302/03, गृह जिला–राँची), के उप सचिव, खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड के पद पर कार्यावधि में मेसर्स सेतु प्रिन्टर्स को बिना समाचार–पत्र में निविदा प्रकाशित कराये वित्तीय नियमावली एवं वित्त विभाग, झारखण्ड के संकल्प सं0–5703/वि0, दिनांक–01.10.2002 द्वारा प्रत्यायोजित शक्ति का उल्लंघन कर 10,45,000 बी0पी0एल0 एवं 1,30,000 अन्त्योदय राशन कार्ड मुद्रित कराया गया, जिससे 76,88,452/–रू0 (64,74,761/– रू0 मूलधन + 12,13,691/–रू0 सूद) की सरकारी राशि का भुगतान करने संबंधी आरोप, जैसा कि संलग्न प्रपत्र–'क' में प्रतिवेदित है, प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है।

2. अतः श्री महली के विरूद्ध प्रपत्र– 'क' में गठित आरोपों की जाँच हेतु पेंशन नियमावली के नियम–43(बी) के तहत् विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया।

3. तदनुसार एतद् द्वारा श्री महली को आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर जाँच हेतु नीचे नियुक्त संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर लिखित बचाव बयान उनके (संचालन पदाधिकारी के) समक्ष प्रस्तुत करें तथा उसकी प्रतिलिपि इस विभाग को भी उपलब्ध कराएँ।

4. श्री महली द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित किए जाने वाले लिखित बचाव बयान में जिन आरोपों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, उन आरोपों की जाँच के लिए झारखण्ड के राज्यपाल, श्री विनोद चन्द्र झा, सेवानिवृत्त भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी. गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त करते हैं।

5. श्री महली के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु अवर सचिव, खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया जाता है।

6. विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव में सरकार का आदेश प्राप्त है।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय एवं इसकी प्रति (आरोप पत्र एवं साक्ष्य कागजात सहित) श्री दयानन्द महली, सेवानिवृत्त झा0प्र0से0 एवं श्री विनोद चन्द्र झा, सेवानिवृत्त भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–

(दिलीप तिर्की)

सरकार के उप सचिव।

(3)

ज्ञापांक–5/आरोप–1–167/2014 का० **9754** /राँची, दिनांक **18** नवम्बर, 2016

प्रतिलिपि– अनुलग्नकों सहित श्री विनोद चन्द्र झा, सेवानिवृत्त भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची/सचिव, खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची/श्री दयानन्द महली, सेवानिवृत्त झा0प्र0से0, पता– ग्राम–सुरसा, डाकघर–ब्राम्बे, थाना– माण्डर, जिला–राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. श्री विनोद चन्द्र झा, सेवानिवृत्त भा0प्र0से0, विभागीय जांच पदाधिकारी से अनुरोध है कि कार्यवाही तुरन्त आरंभ कर अपना प्रतिवेदन 105 दिनों के अन्दर मूल कार्यवाही अभिलेख के साथ आदेश फलक की दो अतिरिक्त प्रतियाँ संलग्न कर इस विभाग को समर्पित करने की कृपा की जाय।

3. सचिव, खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची से अनुरोध है कि श्री महली के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु भवदीय स्तर से विषय के जानकार अवर सचिव को उपस्थापन पदाधिकारी नामित करने की कृपा की जाय

अनु0– यथोक्त।

ह0/–

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–5/आरोप–1–167/2014 का० **9754** /राँची, दिनांक **18** नवम्बर, 2016

प्रतिलिपि– नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री, झारखण्ड के प्रधान सचिव/राज्यपाल, झारखण्ड के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड/विभागीय प्रधान सचिव कोषांग/आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका/उपायुक्त, दुमका/महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/उप सचिव, वित्त (वै0दा0नि0 कोषांग) विभाग, झारखण्ड, राँची/विभागीय अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–3 एवं 4/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

18/11/16

सरकार के उप सचिव।